कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

दिनांक :– 07-01-26

कमांक :– 72

कार्यालय–आदेश

मैं **अर्चना गुप्ता,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माह **फरवरी एवं मार्च, 2026** में निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निम्न अंकित तिथि में आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान, मृत्यु कालिक कथन, सुपुर्दगी, अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य/सेशन कार्य, प्रोटोकॉल हेतु अपने न्यायालय में वक्त प्रातः 11.00 ए एम से दोपहर 02.00 पी एम (मोर्निंग समय में–10ए.एम से 12ए.एम.) तक करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करती हूँ –

माह फरवरी, 2026

क्र0 सं0	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर
1.	01-02-26	Mr. Pradeep Kumawat	A.C.J.M.-2, ALWAR	9928790111
2.	08-02-26	Ms. Ashima Mathur	A.C.J.M.-4, ALWAR	9887708912
3	14-02-26	Mrs. Srishti Jain	A.C.J.&J.M.-1, ALWAR	9911417987
4	15-02-26	Mrs. Srishti Jain	A.C.J.&J.M.-1, ALWAR	9911417987
5	22-02-26	Mr. Pradeep Kumawat	A.C.J.M.-2, ALWAR	9928790111
6	28-02-26	Ms. Ashima Mathur	A.C.J.M.-4, ALWAR	9887708912

माह मार्च, 2026

क्र0 सं0	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर
1.	01-03-26	Ms. Parul Chouhan	A.C.J.&J.M.-4, ALWAR	7790935198
2.	02-03-26	Ms. Parul Chouhan	A.C.J.&J.M.-4, ALWAR	7790935198
3	03-03-26	Ms. Mahima Chouhan	A.C.J.&J.M.-5, ALWAR	8583973559
4	08-03-26	Ms. Mahima Chouhan	A.C.J.&J.M.-5, ALWAR	8583973559
5	14-03-26	Mrs. Seema Hudda	A.C.J.M.-3, ALWAR	9785483053
6	15-03-26	Mrs. Seema Hudda	A.C.J.M.-3, ALWAR	9785483053
7	20-03-26	Ms. Ritika Agrawal	A.C.J.&J.M.-3, ALWAR	7388697342
8	21-03-26	Ms. Ritika Agrawal	A.C.J.&J.M.-3, ALWAR	7388697342
9	22-03-26	Mrs. Sonal Mishra	A.C.J.&J.M.-2, ALWAR	9468505835
10	26-03-26	Mrs. Sonal Mishra	A.C.J.&J.M.-2, ALWAR	9468505835
11	29-03-26	Mrs. Savitri Singh	A.C.J.M.-5, ALWAR	9079174048
12	31-03-26	Mrs. Savitri Singh	A.C.J.M.-5, ALWAR	9079174048

नोट–1–उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय उपरान्त से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्हीं परिस्थितियों मे **पूर्व/पश्चात्** दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

2–उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु विशेष कारणों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

3–अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। सबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। सबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

4–नियत किए गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को नियत अवधि से कम से कम 04 दिन पूर्व सूचित करेगें तो इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

5–अवकाश के दिन यदि सम्बधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो वह अपने परिक्षेत्र से सबंधित उक्त कार्य करेगें।

सर्वनाथुपा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

कमांक :– 73–86 दिनांक :– 07–01–26

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय, अलवर
3. संबंधित पीठासीन अधिकारी
4. पुलिस कन्ट्रोल रूम, अलवर/ए॰डी पी ऑफिस, अलवर
5. कार्यालय प्रति/एस.ओ. कम्प्यूटर शाखा,अलवर (समस्त थानाधिकारी/ पीठासीन अधिकारी को जरिये ई मेल सूचित करे)
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय अलवर को जिला न्यायालय की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सर्वनाथुपा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलवर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)